

राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2017

अधिसूचना सं. रा.आ. बैंक.आ.वि.कं.निर्देश.19/एमडीएंडसीईओ/2017 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सार्वजनिक हित में और संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझा कि आवास वित्त प्रणाली को देश के लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ, कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2010 (यहां के बाद मुख्य निर्देश के रूप में संदर्भित), तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा:

1. अनुच्छेद 30 का संशोधन

- (i) व्याख्या (1) के अंतर्गत मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 30 में मद विवरण और (2) क), ख), ग) और ड) में दिए गए जोखिम भार को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

		भारित जोखिम आस्तियां –तुलन पत्र की मदों पर	भारित %
(2)		निवेश:	
	क)	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे ग (को छोड़कर)	'0'
	ख)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बांडस	'20'
	ग)	सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सावधि जमा/ जमाओं के प्रमाणपत्र/ बांडस	'100'
	ड)	सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांडस/ वाणिज्यिक कागजात/सभी म्यूच्युअल फंड की इकाइयां	'100'

(ii) व्याख्या (1) के अंतर्गत मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 30 में मद विवरण और (3) क) में दिए गए जोखिम भार को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

		भारित जोखिम आस्तियां –तुलन पत्र की मदों पर	भारित %
(3)	क)	घरेलू सार्वभौमिक:	

	i) केंद्रीय सरकार पर निधि आधारित दावे	'0'
	ii) प्रत्यक्ष ऋण/क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	'0'
	iii) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	'0'
	iv) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो चूक में नहीं रहे /जो चूक में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं रहे	'20'
	v) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो चूक में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए रहे	'100'

- (i) (iii) व्याख्या (2) ख के अंतर्गत मुख्य निर्देशों के अनुच्छेद 30 में निम्नलिखित नई मद सं. (xvi) को सम्मिलित किया जाएगा, यथा:-

मद सं.	मद विवरण	ऋण संपरिवर्तन कारक
xvi.	केंद्र सरकार पर गैर-निधि आधारित दावे	'0'

2. अनुसूची II में संशोधन

1. प्रमुख निर्देशों की अनुसूची II में, भाग घ में –

(i) मद विवरण में, मद कोड और II (क), ख), ग) और घ) में दिया गया जोखिम भार निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

मद का विवरण	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
II. निवेश				
(क) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां [नीचे ग (को छोड़कर)	221		'0'	
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बांडस				
(i) भाग क के मद 14 में काटी गई राशि	222		'0'	
(ii) भाग क के मद 14 में नहीं काटी गई राशि	223		'20'	

(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के सावधि जमा/ जमाओं के प्रमाणपत्र/ बांडस				
(i) भाग क के मद 14 में काटी गई राशि	224(i)		'0'	
(ii) भाग क के मद 14 में नहीं काटी गई राशि	224(ii)		'100'	
घ) सभी कंपनियों के शेयर तथा सभी कंपनियों के डिबेंचर/बांडस/ वाणिज्यिक कागजात/सभी म्यूच्युअल फंड की इकाइयां				
(i) भाग क के मद 14 में काटी गई राशि	225		'0'	
(ii) भाग क के मद 14 में नहीं काटी गई राशि	226		'100'	

(ii) मद विवरण में, मद कोड और III (च) (ज) में दिया गया जोखिम भार निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

मद का विवरण	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
III. वर्तमान आस्ति				
(च) (ज) घरेलू सार्वभौमिक:	237 (i)			
क. केंद्रीय सरकार पर निधि आधारित दावे	237 (i) (क)		'0'	
ख. प्रत्यक्ष ऋण/क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट एक्सपोजर एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश	237 (i) (ख)		'0'	
ग. केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	237 (i) (ग)		'0'	
घ. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो चूक में नहीं रहे /जो चूक में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं रहे	237 (i) (घ)		'20'	

ड. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे, जो चूक में नब्बे दिनों से अधिक अवधि के लिए रहे	237 (i) (ड)			'100'	
--	----------------	--	--	-------	--

(ii) 'टिप्पणी' के मद सं. 4 को हटा दिया गया है।

II. मद सं. xv के बाद भाग ड में मुख्य निर्देशों की अनुसूची II में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा

मद सं.	मद विवरण	मद कोड	बही मूल्य	संपरिवर्तन कारक	तुल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
xvi.	केंद्र सरकार पर गैर-निधि आधारित दावे	330		'0'		'0'	

(श्रीराम कल्याणरामन)



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी